क्रम-संख्या–193(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 2 दिसम्बर, 2025

अग्रहायण 11, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

संख्या-I/1159079/2025-8-3099/299-2024

लखनऊ, 2 दिसम्बर, 2025

अधिसूचना

प0आ0–208

चूंकि जनपद लखनऊ में गोमती नदी के तट पर प्रस्तावित बंधे के लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) में प्रस्तावित संरेखण को परिवर्तित कर ग्रीन कारीडोर परियोजना के संरेखण के अनुसार किये जाने हेतु राज्य सरकार लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) के प्रस्तर–9, 4, 9, 15 में संशोधन करना चाहती है, इसके संबंध में आपत्तियाँ एवं सुझाव प्राप्त करने की सूचना दिनांक 17.10.2025 दैनिक समाचार-पत्रों में दिनांक 18.10.2025 को प्रकाशित करायी गयी थी,

और, चूंकि, उपर्युक्त सूचना में विर्निदिष्ट समय के अन्दर कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियम)–1974 द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या–11, सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल लखनऊ में गोमती नदी के तट पर प्रस्तावित बंधे के लखनऊ महायोजना–2031 (संशोधित कन्वर्जन) में प्रस्तावित संरेखण को परिवर्तित कर ग्रीन कारीडोर परियोजना के संरेखण के अनुसार किये जाने हेतु लखनऊ महायोजना-2031 (संशोधित कन्वर्जन) के प्रस्तर-9, 4, 9, 15 में संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

पी0 गुरुप्रसाद,

प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 270 राजपत्र–2025–(792)–599 प्रतियाँ (डी0टी0पी0/ऑफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 9 सा0 आवास एवं शहरी नियोजन–2025–(793)–1020+100=1120 प्रतियाँ डी0टी0पी0/ऑफसेट)।